संख्या– 76 खे0वि0/2004–75(खेल)2001

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में

निदेशक
खेल विभाग
उत्तरांचल देहरादून ।

खेल अनुभाग: देहरादून दिनांक 28 जनवरी 2004

विषय:– जनपद पौढ़ी गढ़वाल में बास्केट बाल कोर्ट के निर्माण हेतु धनांवटन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खेल निदेशालय के पत्र संख्या–3033/पौढ़ी स्टे0नि0प0 /2003–04 दिनांक 12 जनवरी 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौढ़ी में बास्केट बाल के निर्माण हेतु रू0 15.54 लाख के आगणन के सापेक्ष वित्त विभाग टी0ए0सी द्वारा रू011.41 लाख (रूपये ग्यारह लाख इक्तालिस हजार मात्र)की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है । स्वीकृत धनराशि को श्री राज्य पाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के आधार पर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा ।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राविधिक स्वीकृत प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृत के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राविधकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिक तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारीयों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

2— उपरोक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है । ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये । व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है । व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेश में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय ।

3— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003-04 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक -4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय (क्रमश)-03-खेलकूद तथा युवक सेवा खेल कूद स्टेडियम-108-खेलकूद तथा युवा सेवायें-05-स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य नामक मद के नामे डाला जायेगा ।

4— उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या-1094 / वित्त अनुभाग-2 / 2003-04 दिनांक-25 फरवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

संख्या— —खे0नि0 / 2004—तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग सहारनपुर रोड देहरादून ।
2— निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री उत्तरांचल शासन देहरादून ।
3— वरिष्ठकोषाधिकारी, देहरादून ।
4— श्री एल0एम0पन्त0 अपर सचिव वित्त विभाग ।
5— निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र देहरादून ।
6— वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन ।
7— गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव